राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :—1558 / 2024

गोपीचन्द यादव —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, पीएचईडी, सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता (प्रशा.), पीएचईडी, जल भवन, जेकब रोड़, रेलवे स्टेशन, जयपुर।
3. अधीक्षण अभियंता, पीएचईडी, सर्किल, केकडी, अजमेर।
4. सहायक अभियंता, पीएचईडी, नगर सब डिविजन—8, आदर्श नगर, अजमेर।
5. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, अजमेर।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 16.10.2024

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री धर्मचन्द जैन, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता।

समक्ष :— अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किए हैं कि अपीलार्थी सहायक के पद से दिनांक 30.06.2021 को सेवानिवृत हो गया था। सेवानिवृत्ति की पश्चात आदेश दिनांक 09.09.2021 के द्वारा अपीलार्थी से 67,568 /— रुपए की वसूली ग्रेच्युटी से करने के आदेश प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी किए गए। इसके उपरांत अपीलार्थी की ग्रेच्यूटी राशि में से उक्त राशि को काटकर वसूल की गई है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात वसूली किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थी की ओर से एक अभ्यावेदन भी प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत किया गया है और यह निवेदन किया गया है कि सेवानिवृत्ति के उपरांत कोई कटौती नहीं की जाए, परंतु अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर कोई गौर नहीं किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को पूर्व में दिए गए ग्रेड—पे की वसूली की गई है, जो वर्ष 2017 से 2021 तक की ग्रेड—पे की राशि की वसूली है, जो अपीलार्थी को पूर्व में प्रदान की जा चुकी थी। अपीलार्थी को वसूली किए जाने से पूर्व सुनवाई का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह है अंकित किया गया है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 30.10.2017 के द्वारा अपीलार्थी को अधिक भुगतान की वसूली हेतु दिनांक 01.07.2013 को पे बैण्ड 5200–20200 ग्रेड–पे 2400/– में संशोधित वेतन नियत करवाया जाकर उसी अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में संशोधित वेतन नियता का लाभ दिया जाकर अपीलार्थी को 01.01.2016 से संशोधित वेतन नियतन का लाभ दिया जाकर अन्तिम वेतन 33400/– पर वेतन नियतन किया गया था। उक्त संशोधन उपरान्त अपीलार्थी को 01.01.2017 से 30.06.2021 तक अधिक हुए वेतन भुगतान की राशि रूपये 67568/– मात्र (अक्षरे रूपये सड़सठ हजार पांच सौ अड़सठ) की वसूली अपीलार्थी की ग्रेच्युटी से प्रस्तावित की जाती है, जिसका इन्द्राज पेंशन कूलक में भी यथा स्थान पर कर दिया गया है। राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियमानुसार अपीलार्थी के समय–समय पर किये गये सभी वेतन स्थिरीकरण तथा वेतनवृद्धियां सही, जिस वेतन पर पेंशन का निर्धारण किया गया है, वह सही रूप से निकाला गया है।

3. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलार्थी से जो वसुली की गई है, वह जून, 2021 को उसकी सेवानिवृत्ति होने के बाद वेतन में संशोधन करने के उपरांत बकाया मानते हुए की गई है, जो अपीलार्थी से उसकी सेवानिवृत्ति के पश्चात ग्रेचुटी की राशि में से की गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रकरण पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह 2015 (1) SCT 195 में निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया गया हैः–

State of Punjab v Rafiq Masih 2015 (1) SCT 195

"12. It is not possible to postulate all situations of hardship, which would govern employees on the issue of recovery, where payments have mistakenly been made by the employer, in excess of their entitlement. Be that as it may, based on the decisions referred to herein above, we may, as a ready reference, summarise the following few situations, wherein recoveries by the employers, would be impermissible in law:

(i) Recovery from employees belonging to Class-III and Class-IV service (or Group 'C' and Group 'D' service).

(ii) Recovery from retired employees, or employees who are due to retire within one year, of the order of recovery.

(iii) Recovery from employees, when the excess payment has been made for a period in excess of five years, before the order of recovery is issued.

(iv) Recovery in cases where an employee has wrongfully been required to discharge duties of a higher post, and has been paid accordingly, even though he should have rightfully been required to work against an inferior post.

(v) In any other case, where the Court arrives at the conclusion, that recovery if made from the employee, would be iniquitous or harsh or arbitrary to such an extent, as would far outweigh the equitable balance of the employer's right to recover."

4. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में यह माना गया है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात वसुली किया जाना उचित नहीं है। वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति दिनांक 30.06.2021 को हुई है। उसके पश्चात अपीलार्थी से वसूली आदेश दिनांक 09.09.20021 से की गई है। अतः स्पष्ट है कि अपीलार्थी से वसूली उसकी सेवानिवृत्ति के पश्चात की गई है, जो माननीय उच्च्तम न्यायालय के उपरोक्त प्रकरण रफिक मसीह से उचित नहीं माना गया है।

5. अतः हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी से सेवानिवृत्ति पश्चात वसूली किया जाना उचित नहीं है। परिणामस्वरूप यह अपील स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी से वसूल की गई राशि 67,568 / – अपीलार्थी को 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से लौटाई जायें।

6. इस आदेश की पालना 3 माह में किया जाना सुनिश्चित किया जावें।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)